



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 962/2013 धारा-306 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोहन पुत्र महावीर प्रजापति निवासी ग्राम दरियापुर थाना सुमेरपुर हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री विशम्भर
पाल



विवेचक-
उ0नि0 बलवीर
सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह